

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बापिणी जिला फलौदी

पितासीन अधिकारी :- अमिता विश्नोई आर.ए.एस

दलीप कुमार बनाम तहसीलदार बापिणी

अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्त	हुक्त या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या 29/2025 Gcms No. 2025/89	नम्बर व तारीख जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
	<p>प्रकरण में पैरोकार अभिभाषक उपस्थित :- अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री राजुराम चौधरी एवं पवन कुमार जोशी। अप्रार्थीगण की ओर से :- राज-पैरोकार।</p> <p style="text-align: center;">-: निर्णय :- दिनांक :- 7 / 10 / 2025</p> <p>प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 1007 रकबा 3.0918 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 802/3 रकबा 1.9101 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 821/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर एवं ग्राम बापिणी खुर्द के खसरा नम्बर 510 रकबा 4.6134 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम नाम दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम के नाम भूमि आई हुई हैं। प्रार्थी की भूमि के अलावा अन्य सभी कागजातों में नाम दलीप कुमार पुत्र बोराराम दर्ज हैं। तथा जमीन में नाम दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम गलत दर्ज होने पर पक्षकार को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं। और नाम को लेकर भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो जिसके लिए राजस्व जमाबन्दी में नाम सही एवं दुरुस्त करवाने हेतु हल्का पटवारी व भु. अभिलेख निरीक्षक से निवेदन किया गया कि वास्तविक नाम के मुताबिक जमाबन्दी में दलीप कुमार पुत्र बोराराम दर्ज करना भु-अभिलेख अधिकारी का दायित्व हैं परन्तु इन्कार कर दिया। जिसके कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरीये समन तलब किया गया। अप्रार्थी को भेजे गये समन की डाक रसीदें न्यायालय में पेश की जो शामिल मिसल की गयी।</p> <p>हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार बापिणी से रिकार्ड व मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार की तरफ से जबाब के साथ रिकार्ड जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जो शामिल मिसल की गयी। तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट में बताया की नामान्तकरण संख्यां 1349, 1350, 1430, व 433 में प्रार्थी के नाम खातेदार भूमि में दर्ज हुआ। स्वभाविक मानवीय सदभाविक भुल से में जमाबन्दी में दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम दर्ज हो कर गलत प्रविष्टि हुई हैं।</p> <p>वर्तमान चालु जमाबन्दी में दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम दर्ज हैं तथा तहसीलदार जांच रिपोर्ट अनुसार दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम के स्थान पर दलीप कुमार पुत्र बोराराम सही नाम दर्ज किया जाना सह-खातेदारान् ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर कर उचित बताया है। तथा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का नाम दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम से दलीप कुमार पुत्र बोराराम किया जाना है तथा जांच रिपोर्ट</p>	

अधिवक्ता कलेक्टर बापिणी

के तहत दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम के स्थान पर दलीप कुमार पुत्र बोराराम किये जाने योग्य बताया है। पत्रावली पर अधिवक्ता प्रार्थी की अन्तिम बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के पैरान को दौहराते हुये जांच रिपोर्ट का समर्थन किया और बताया कि दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम से दलीप कुमार पुत्र बोराराम कर सही किया जावे और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अध्ययन एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन करने पर स्पष्ट है कि तहसीलदार बापिणी द्वारा नामान्तरण व जांच रिपोर्ट सामिल मिशल किया गया और जांच रिपोर्ट के अनुसार नाम परिवर्तन किया जाना है। ओर प्रार्थी का नाम सही दर्ज करवाने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। तहसील बापिणी के राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 1007 रकबा 3.0918 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 802/3 रकबा 1.9101 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 821/1 रकबा 4.8562 हैक्टेयर एवं ग्राम बापिणी खुर्द के खसरा नम्बर 510 रकबा 4.6134 हैक्टेयर की जमीन में प्रार्थी का नाम दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम सद्भाविक भुल के कारण गलत प्रविष्टि हो गयी। तथा उक्त खसरे की जमीन में दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम के स्थान पर दलीप कुमार पुत्र बोराराम दर्ज कर करने की मौका फर्द पर सह-खातेदार ने हस्ताक्षर कर राज-पैरोकार का जबाब एवं प्रार्थी के आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, विधालय प्रगति पत्र, बैंक डायरी इत्यादी अनुसार भुमि में नाम परिवर्तित कर सही किया जाना है तथा उक्त सभी दस्तावेजी रिपोर्टों के अनुसार प्रार्थी का नाम दौलाराम पुत्र भैराराम उर्फ बोराराम के स्थान पर दलीप कुमार पुत्र बोराराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। कि तहसीलदार बापिणी तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में दलीप कुमार पुत्र बोराराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर न्यायालय विनिश्चय की पालना सुनिश्चित करे। पालनार्थ सम्बधित को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/2025 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



अशिता विश्नोई (RAS)
सहायक कलेक्टर, उपखण्ड
अधिकारी, बापिणी, फलोदी